

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ |
अल्प कालीन निविदा—सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक **30.6.16** को निविदाये आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निविदा आमन्त्रण की दिनांक से दो दिन पूर्व प्राधिकरण की वैबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा निविदादाता को निविदा वैबसाईट से डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध रहेंगी। धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 मूल रूप से एवं निविदा शुल्क, डिमाण्ड डाफट के रूप में निविदा के साथ सलंगन करनी होगी। निविदाये अपर सचिव कार्यालय / सभागार एवं जिलाधिकारी, मेरठ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में निर्धारित दिनांक को अपराह्न 3.00 बज तक डाली जा सकेगी और उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित ठेकेदारों/फर्मों के समक्ष प्राधिकरण सभाकक्ष/अपर सचिव कार्यालय में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र की कीमत	समय अवधि	कार्य की श्रेणी
1	रक्षापुरम योजना के सैकटर-1 में स्थित जोनल पार्क में ग्रासिंग एवं पौधे, लॉन, हैज/ऐज का रखरखाव कार्य।	6.14	0.62	860/-	रखरखाव 12 माह	डी०
2	रक्षापुरम योजना के सैकटर-1,3 व 4 के तीन पार्कों में पूर्व रोपित पौधे, लॉन एवं ऐज/हैज का रखरखाव तथा तिकोने पार्क में सबमर्शिबल पम्प लगाने का कार्य।	4.14	0.42	573/-	पम्प 01 माह रखरखाव 12 माह	डी०
3	रक्षापुरम योजना के सैकटर-4 में स्थित जोनल पार्क में पौधे, लॉन, हैज/ऐज का रखरखाव का कार्य।	3.01	0.32	573/-	माह रखरखाव 12 माह	डी०
4	शताब्दी नगर योजना सैकटर-5 के पाकेट- एफ० के दो पार्क, सैकटर-4ए पंचवटी का एक पार्क एवं सैकटर-4सी पाकेट-सी० व ई० का एक-2 पार्क कुल 5 नं० पार्क तथा सैकटर-1 व 6 के मध्य एवं सैकटर-1व 2 व 2 व 3 के मध्य एस०टी०पी० से नाले तक सैन्द्रल	5.46	0.55	860/-	रखरखाव 12 माह	डी०

	वर्ज पर पूर्व में रोपित पौधों का रखरखाव कार्य।					
5.	शताब्दी नगर योजना के सैकटर-1 पाकेट- ए० व बी० एवं सैकटर-4बी पाकेट-ए० तथा सैकटर-4सी पाकेट -डी० व बी० के पार्कों एवं सैकटर-2 व 3 की ३० मी० चौड़ी रोड की सैन्डल वर्ज पर पूर्व में रोपित पौधे, लॉन, हैज आदि का रखरखाव कार्य।	5.37	0.54	860/-	रखरखाव 12 माह	डी०
6.	गंगा नगर योजना के पाकेट-सी० पी० पार्क में रोपित पौधे, लॉन आदि के रखरखाव का कार्य।	3.34	0.34	573/-	रखरखाव 12 माह	डी०
7.	गंगा नगर योजना के पाकेट-पी० के जोनल पार्क में रोपित पौधे, लॉन आदि के रखरखाव का कार्य।	2.51	0.26	573/-	रखरखाव 12 माह	डी०
8.	गंगा नगर योजना के पाकेट-क० जोनल पार्क जीर्णोद्धार एवं रखरखाव का कार्य।	12.22	1.23	1145/-	उद्यानीकरण 1 माह रखरखाव 12 माह	सी०
9.	वेदव्यास पुरी योजना के सैकटर-2 व 3 एवं सैकटर-3 तथा अन्सल लैण्ड के मध्य स्थित सैन्डल वर्जों पर पूर्व से रोपित पौधे, घास व ऐज का रखरखाव कार्य।	5.89	0.59	860/-	रखरखाव 12 माह	डी०
10.	रक्षापुरम योजना से कमीशनरी चौराहे तक, कंकरखेडा रेलवे ओवर ब्रिज, रोहटा रोड रेलवे ओवर ब्रिज, मोदीपुरम ओवर ब्रिज के पास, अम्बेडकर चौराहे से ईबज चौराहे तक रथलों पर पूर्व में रखे गमलों के रखरखाव का कार्य।	4.89	0.49	573/-	रखरखाव 12 माह	डी०
11.	परतापुर आरओ०बी० की सैन्डल वर्ज, हापुड रोड पी०टी०एस०, शास्त्रीनगर ब्लाक-डी० उपाध्याय नर्सिंग होम के सामने, यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ, राजकीय इन्टर कालेज, आनन्द अस्पताल, सरस्वती महिला छात्रावास मेरठ कालेज, मेरठ, सिंचाई	7.81	0.79	860/-	रखरखाव 12 माह	डी०

	विभागके बराबर में ओमेश्वर मन्दिर के सामने, कस्तुरखेड़ा रिथैट शमशान घाट तथा डिफैन्स कालोनी के प्रवेश द्वार के दायी तरफ ग्रीन बैल्ट में रोपित पौधों का रखरखाव कार्य।					
12.	परतापुर पुल से हवाई पट्टी तक गंगोल रोड की सैन्ट्रल वर्ज एवं दिल्ली रोड पर दैनिक जागरण से परतापुर पुल तक सैन्ट्रल वर्ज, बेगमपुल से लालकुर्ती चौराहे तक सैन्ट्रल वर्ज पर आयुक्त कार्यालय की बाउन्ड्रीवाल के पास रिथैट पार्क, मेरठ शहर के चौराहे (हापुड अडडा, सर्किट हाउस, शहीद स्मारक, आयुक्त कैम्प कार्यालय चौराहा) पर रोपित पौधों का रखरखाव कार्य।	10.54	1.06	1145 /—	रखरखाव 12 माह	रु10
13.	अबूनाले पर फुलबाग कालोनी वाली पुलिया से गढ़ रोड रिथैट पुल तक नाले की पटरी के साथ रोपित पौधों के रखरखाव का कार्य।	1.42	0.15	573 /—	रखरखाव 12 माह	रु10
14.	कंकरखेड़ा रेलवे कासिंग से कंकरखेड़ा मार्किट तथा कैन्टोनमेन्ट बोर्ड की और फ्लाई ओवर के नीचे रोपित पौधों का रखरखाव कार्य।	2.39	0.24	573 /—	रखरखाव 12 माह	रु10

मुख्य नियम व शर्ते

- निविदा करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ प्रभारी अधिकारी, उद्यान, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में निर्धारित धनराशि की विधिवत् प्रतिभूति, राष्ट्रीय बैंक की एफ0डी0आर0/किसान विकास पत्र/एन0एस0सी0 के रूप में अवश्य संलग्न होनी चाहिए।
- उद्यान सम्बन्धी कार्यों हेतु नर्सरी का स्वामित्व होना आवश्यक है।
- उद्यानीकरण कार्य में प्रयुक्त होने वाली खाद ठेकेदार को प्राधिकरण द्वारा संचालित एस0टी0पी0 से लेनी होगी। जिसकी ठेकेदार के बिल से कटौती की जायेगी।

एस0टी0पी0 पर खाद न मिलने की दशा में ठेकेदार द्वारा खाद की आपूर्ति स्वयं करनी होगी।

4. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने कार्यों को एक से अधिक फर्मों में विभाजित करने या अनुबन्ध करने के लिये उचित शर्त तय करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को है।
6. कार्यों के विषय में विस्तृत शर्त एवं अन्य विवरण प्रभारी अधिकारी(उद्यान) के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

पत्रांक—४५८६ /कार्यो—उद्यान/2016
प्रतिलिपि:-

- 1 उपाध्यक्ष/सचिव/अपर सचिव/वित्त नियन्त्रक, को सूचनार्थ।
- 2 कम्पयूटर अनुभाग को वेबसाईड पर डलवाने हेतु।
- 3 एन0आई0सी0 कार्यालय, मेरठ को dmmee@up.nic.in पर डलवाने हेतु।

दिनांक—२३.६.१६

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।